<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>सोहनलाल बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी)
सू.अ.अपील संख्या 367 / 2022</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>05.12.22</td><td>अपीलार्थी सोहनलाल पंवार निवासी गांव धींगाणा, पोस्ट गुड़ा विश्नोइयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2022 में उसके द्वारा (1) लैण्ड रिकॉर्ड रूल 1957 के नियम 179 के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक को प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों की दैनिक डायरी का संधारण कर उसकी एक प्रति तहसील कार्यालय में जमा करवानी होती है। आपके कार्यालय को दिनांक 01.07.2022 से 20.09.2022 तक की समयावधि में भू अभिलेख निरीक्षकों से प्राप्त दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>